| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| **07/07/2022** | **प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची**<br>**एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 86 / 1997**<br>**कन्दरू मुण्डा बनाम् भानु प्रताम सिंह मुण्डा एवं अन्य**<br>प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–82–R15/1994-95 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः भूमि वापसी वाद संख्या–149 / 1992–93 में अंचल–सिल्ली के खाता नम्बर–341, प्लॉट–808, 809, रकबा–86 डिसमिल एवं 05 डिसमिल भूमि के वापसी हेतु दावा किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करते हुये 43 डिसमिल भूमि की वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। इस वाद में उभयपक्ष न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक–03.03.2022 को विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुये, जिसके पश्चात् उभयपक्षों की सूचना हेतु स्थानीय अखबार में नोटिस प्रकाशित किया गया। उक्त नोटिस दिनांक–08.03.2022 को प्रकाशन के पश्चात् भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः दिनांक–09.06.202 को विपक्षी को सुना गया एवं आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः दिनांक–27.06.2022 को मौका दिया गया, किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुये। अंततः लिखित बहस दायर करने हेतु 07 दिन का समय दिया गया। मात्र विपक्षी के द्वारा लिखित बहस दायर की गयी। अंततः उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।<br>प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत हेमन्त मुण्डा के वारिस के द्वारा निबंधित केवाला से वर्ष–1944 में इस्तीफा दी गयी, जिसके पश्चात् किशोर कोईरी के नाम से सादा हुकुमनामा से भूमि को बंदोबस्त किया गया। इस कार्य के पश्चात् पक्षकारों के बीच टाईटल सूट–83 / 06 / 1962 दायर हुआ, जिसमें विस्तृत सुनवाई के पश्चात् मुंसिफ न्यायालय द्वारा 43 डिसमिल भूमि के लिये किशोर कोईरी के पक्ष में डिक्री पारित की गयी। आवेदकों का दावा मुख्यतः इस इस्तीफा एवं बंदोबस्ती के अवैध होने के आधार पर आधारित है तथा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| | | |

उनके द्वारा मिलीभगत की कार्रवाई बतायी गयी है। उल्लेखनीय है कि टाईटल सूट–229/26/1946–48 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात् किशोर कोईरी के पक्ष में डिक्री प्राप्त हुई, जिसके लिये Execution वाद संख्या–220/1950 भी दायर हुआ। पुनः किशोर कोईरी को भूमि से बेदखल किये जाने के कारण उनके द्वारा टाईटल सूट–83/6/1962–63 दायर किया गया, जिसमें विधिवत् सुनवाई के पश्चात् किशोर कोईरी के 43 डिसमिल भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार को स्वीकार किया गया। अतः आवेदकों का यह दावा कि प्रश्नगत् भूमि के संबंध में दायर टाईटल सूट मिलीभगत की कार्रवाई थी, पूर्णतः असत्य है। इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा 43 डिसमिल भूमि को छोड़कर अन्य भूमि के लिये भूमि–वापसी के आदेश को बरकरार रखा गया है। स्पष्टतः सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा 43 डिसमिल भूमि के संबंध में आदेश पारित किये जाने के पश्चात् पुनः उसी बिन्दु पर राजस्व न्यायालय के स्तर से समीक्षा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यपरक एवं उचित है। वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुये अपीलीय न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.09 13:36:53 +05:30
Location: 192.168.1.40